सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस नं: 6577 / 1014 / 2016 दिनांक: 26.05.2017

श्री जगमोहन जायसवाल R1146
पुत्र – श्री बन्शीधर जायसवाल
मकान नं: 39, वा.न. – 24, जायसवाल मौहल्ला
नले मौहल्ले के पास, दौसा, राजस्थान
<jagmohanjayasawal@gmail.com> वादी

बनाम

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान R1147
(द्वारा) निदेशक
अंसारी नगर, नई दिल्ली – 110029 प्रतिवादी

सुनवाई की तिथि : 19.05.2017 सुबह 1100 बजे।

उपस्थित :

- प्रार्थी – प्रार्थी पक्ष अनुपस्थित
- श्री इलियास पी.आई.,ओ.एस.डी., सुश्री कविता, यूडीसी, श्रीमती रेशमा, यूडीसी प्रतिवादी की ओर से।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता श्री जगमोहन जायसवाल, 50 प्रतिशत अस्थि बाधित ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में Sister Gd - II की भर्ती से संबंधित शिकायत – पत्र दिनांक रहित निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।

2. प्रार्थी का अपनी शिकायत में कहना है कि उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की Sister Gd - II की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कि और ओ.पी.एच. (ओ.एल) की लिस्ट में क्रमांक 4 रोल नं: 6902822, ओ.बी.सी. की में 6296 पर चयन हुआ। प्रार्थी का आगे कहना है कि 25 अप्रैल को दस्तावेज सत्यापन के दौरान उन्हें ओ.ए.एल. मानते हुए नियुक्ति के अयोग्य माना गया जबकि प्रार्थी का कहना है कि उनकी सीधी टाँग में समस्या है और कोहनी की समस्या बहुत कम है।

3. मामला अधिनियम की धारा 59 के अन्तर्गत प्रतिवादी से दिनांक 21.07.2016 को उठाया गया।

...2.....

4. वरिष्ट प्रशासन अधिकारी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 23.08.2016 में कहना है कि श्री जगमोहन जायसवाल का चयन पी.एच. कोटे के अंतर्गत हुआ था और सामाज़िक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सूचना पत्र संख्या नं: 16–17/2004–डी.डी.–।। दिनांक 15.03.2007 के आधार पर नर्स का पद एक पैर (one leg) वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया गया है जबकि श्री जगमोहन के विकलांगता प्रमाणपत्र के अनुसार वह एक हाथ और एक पैर (OAL) की विकलांगता श्रेणी में आते हैं तथागत, दिनांक 25.04.2016 को दस्तावेज सत्यापन के उनके विकलांगता प्रमाणपत्र के आधार पर उनके चयन को रद्द कर दिया गया।

5. वादी का अपने प्रत्युत्तर दिनांक 10.10.2016 में कहना है कि वह ओ.एल. श्रेणी से है जो कि 40 प्रतिशत है जबकि उनके हाथ की समस्या न के बराबर है। वादी का यह भी कहना है कि वह स्टाफ नर्स के पद पर उन्होंने 02 वर्ष तक कार्य किया है और उनको तनिक भी कठिनाई नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी के पत्रों के मद्देनज़र दिनांक 16.05.2017 को सुनवाई रखी गई।

6. सुनवाई के दौरान प्रतिवादी ने अपने कथनों को दोहराया और कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सूचना पत्र संख्या नं: 16–17/2004–डी.डी.–।। दिनांक 15.03.2007 के अनुसार नर्स का पद एक पैर (one leg) वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया गया है जबकि श्री जगमोहन के विकलांगता प्रमाणपत्र के अनुसार वह एक हाथ और एक पैर (OAL) की विकलांगता श्रेणी में आते है तथागत, दिनांक 25.04.2016 को दस्तावेज सत्यापन के बाद उनके विकलांगता प्रमाणपत्र के आधार पर उनके चयन को रद्द कर दिया गया।

7. सुनवाई के दौरान, वादी अनुपस्थित थे। प्रतिवादी को सुनने के बाद और दस्तावेजों को देखने के बाद यह केस खारिज किया जाता है चूंकि नर्स का पद केवल एक पैर वाले दिव्यांगों के लिए ही चिन्हित है।

(डॉ कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त